संख्या-11/2018/4153/33-2-2018-308जी/18

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उ0प्र0 ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 सितम्बर, 2018

विषय- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के मा0 सदस्यगण को गृह जनपद से बाहर जाने पर प्रदेश के अन्य जनपदों के अतिथि गृहों/सर्किट हाउस में ठहरने की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 12-09-2018 को सम्पन्न हुई बैठक में उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के मा0 सदस्यगण को अपने गृह जनपद से बाहर जाने पर प्रदेश के अन्य जनपदों के सर्किट हाउस एवं शासन द्वारा प्रख्यापित नियमावली से आच्छादित अतिथिगृहों के अतिरिक्त शेष समस्त सरकारी अतिथि गृहों में ठहरने की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं :-

(1) विभागों के नियंत्रणाधीन अतिथिगृहों पर जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों के फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर अंकित एवं प्रदर्शित किये जायें।

(2) आवंटन पंजिका अतिथि गृहों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध रखी जाये।

(3) मा0 विधायकगण द्वारा परिचय-पत्र दिखाये जाने पर निर्धारित शुल्क एवं शर्तों पर कक्ष के रिक्त होने की दशा में एक कक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त लिये गये निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के मा0 सदस्यगण को गृह जनपद से बाहर जाने पर प्रदेश की जिला पंचायतों के नियंत्रणाधीन संचालित अतिथि गृहों में ठहरने की सुविधा नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

जितेन्द्र बहादुर सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in